

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026**

**अधिसूचना**

संख्या-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-.....180.....(3)/रा0, दिनांक-30-01-2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।


(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में जहाँ कहीं भी "भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष" अंकित है, को "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में अनुसूची-2 को अन्तः स्थापित किया जाना।- उक्त नियमावली के नियम-3(क), 10 एवं 11 के अधीन "अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी" के कार्य एवं दायित्व से संबंधित अनुसूची-2 अन्तः स्थापित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
30/01/2026

(सी0 के0 अनिल),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-.....180.....(3)/रा0, पटना, दिनांक-30/01/2026


प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
30/01/2026


(सी0 के0 अनिल),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-180(3)/रा0, पटना, दिनांक-30/01/2026  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।


  
30/01/2026  
(सी0 के0 अनिल),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-180(3)/रा0, पटना, दिनांक-30/01/2026  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को दो प्रतियाँ तथा  
सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
30/01/2026  
(सी0 के0 अनिल),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-180(3)/रा0, पटना, दिनांक-30/01/2026

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी समाहर्ता/सभी विभागीय निदेशालय/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
30/01/2026  
(सी0 के0 अनिल),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/स्था0 (नियमावली) 01/2015 (खण्ड)-180(3)/रा0, पटना, दिनांक-30/01/2026

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग को अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को ई-मेल से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
30/01/2026  
(सी0 के0 अनिल),  
प्रधान सचिव।

## अनुसूची-2

अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व  
(देखे नियम-10)

क्र०	विषय	कार्य एवं दायित्व
1	अंचल स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचल अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।</li> <li>2. दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-स्वामित्व अभिलेखों के संधारण की प्रगति की नियमित समीक्षा</li> <li>3. अंचल से संबंधित लंबित मामलों की मासिक समीक्षा एवं समयबद्ध नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करना।</li> </ol>
2	राजस्व संग्रह एवं लक्ष्य प्राप्ति	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भू-राजस्व, लगान, सेस की वसूली सुनिश्चित करना। राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूक्ष्म कार्य योजना बनाना। बकाया वसूली हेतु विशेष अभियान संचालित करना।</li> </ol>
3	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण ऑनलाइन राजस्व प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभिलेखों के डिजिटलीकरण, अद्यतीकरण एवं शुद्धिकरण, एग्रीस्टेक, भूमि सर्वेक्षण, पुनरीक्षण सर्वे आदि कार्यों का पर्यवेक्षण।</li> <li>2. राजस्व मानचित्रों एवं रजिस्टर-2 के अद्यतीकरण एवं इसका डिजिटल रख-रखाव/संरक्षण।</li> </ol>
4	सरकारी भूमि की सुरक्षा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सरकारी/गैरमजरुआ भूमि की पहचान एवं अतिक्रमण मुक्ति अभियान का संचालन। भूमि बैंक का निर्माण एवं संधारण।</li> <li>2. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समन्वय।</li> </ol>
5	लोक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्धता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. लोक प्रयोजन (सड़क, रेल, रक्षा, खासमहाल, कैसरे हिन्द, आदि) हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> <li>2. भूमि अधिग्रहण, उद्योग एवं निवेश परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया का समन्वय।</li> </ol>
6	आपदा एवं विशेष अभियान	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाढ़/सूखा/भूकम्प/महामारी/अन्य आपदा की स्थिति में क्षति सर्वेक्षण एवं राहत वितरण का पर्यवेक्षण/समीक्षा।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन।</li> </ol>
7	जन शिकायत	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुमंडल स्तर पर साप्ताहिक जन-सुनवाई तथा ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा एवं निस्तारण</li> </ol>
8	अर्द्ध-न्यायिक/अन्य विविध कार्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914</li> <li>2. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947</li> <li>3. बिहार भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954</li> <li>4. बिहार साहूकार अधिनियम, 1974</li> </ol>

